समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 1388 सन् 2024

चन्द्रप्रकाश एम. तिवारी व अन्य .....वादीगण

बनाम

यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य ....प्रतिवादीगण

इंडेक्स

क्र. संख्या	**विवरण/ब्यौरा**	पृष्ट संख्या
01	Additional Affidavit on behalf of the Applicant	1-4
02	Annexure A-1 Copy of the Complaint dated 19.06.2025	5-6
03	Annexure A-2 Copy of the Photograph dated 16.06.2025	7-8
04	Annexure A-3 Copy of the Complaint dated 23.04.2025 with Report	9-12
05	Annexure A-4 Copy of the GO dated 27.01.2025	13-17

दिनांक 09 .07.2025

आवेदक

(डॉ. अजय कुमार)

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 1388 सन् 2024

चन्द्रप्रकाश एम. तिवारी व अन्य .....वादीगण

बनाम

यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य ....प्रतिवादीगण

Additional Affidavit on behalf of the Applicant

श्रीमान् जी,

विन्रम निवेदन है कि आवेदनकर्ताओं की ओर से माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष अत्यंत आदरपूर्वक यह आवेदन प्रस्तुत कर अति-महत्वपूर्ण अभिलेख एवं तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे है:-

1. यह कि झांसी महायोजना 2021 नगर पार्क के रूप में आरक्षित की गई भूमि पर कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसको लेकर मा. एन.जी.टी. में OA NO. 165/2021 IN EA NO. 38/2022 और OA NO. 1388/2024 योजित किये गये है, जिसमें माननीय न्यायाधिकरण द्वारा नगर पार्क की भूमि के अवैध निर्माण हटाने के आदेश जारी किये गये है और यह भी कहा गया है कि हरित पट्टी, पार्क के लिए आरक्षित भूमि पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसकी मा. सासंद, मा. विधायक, मा. महापौर एवं स्थानीय मा. पार्षदों और अधिकारियों को भली-भांति जानकारी है।

2. यह कि झांसी विनियमित क्षेत्र की महायोजना वर्ष 1979-2001 के लिए तैयार की गई थी। झांसी नगर के लिए प्रस्तावित इस महायोजना 2001 में 5002.90 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव किया गया था। जिसका अनुमोदन शासनादेश संख्या 4201/37-3-82-32-एन.के.वी./81 दिनांक 13.10.1982 द्वारा किया गया था। शासन द्वारा स्वीकृत झांसी महायोजना 2001 में झांसी नगर के पूर्व में स्थित लक्ष्मीताल के निकट स्थित नारायण बाग एवं समीप के मौजा पिछोर, मौजा डडियापुरा और मौजा तालपुरा की भूमि पर 198.38 हेक्टेयर क्षेत्र को न गर पार्क हेतु आरक्षित किया गया था। जिसे पूर्व की भांती झांसी महायोजना-2021 में यथावत आरक्षित किया गया हैं। उक्त नगर पार्क को विकसित कराने की बजाय मा. सासंद, मा. विधायक, मा. महापौर एवं स्थानीय मा. पार्षदों और अधिकारियों द्वारा पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले भू-माफियाओं और कॉलोनाइजरों से रिश्वत (घूस) लेकर न्यायिक और कानून के निर्देशों की अवहेलना करके सरकारी धनराशी से अवैध कॉलोनियों में लगातार बिजली, पानी, सड़क, नाली आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विकास कार्य कराये जा रहे है। जो "कानून के शासन के मूल सिद्धांत को नष्ट करने" जैसा है।

3. यह कि मा. महापौर और मा. पार्षद द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से जानबूझकर न्यायिक और कानून के निर्देशों की अवहेलना करके सरकारी धनराशी से उक्त पार्क की भूमि पर विकसित की जा

रही अवैध कॉलोनी में सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका शिलान्यास दिनांक 16.06.2025 को किया गया था। जिसकी दिनांक 19.06.2025 को आवेदक द्वारा अधिकारियों को शिकायत की गई थी। जो संलग्न है।

4. यह कि उक्त नगर पार्क की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में मा. महापौर और मा. पार्षद द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत न्यायिक और कानून के निर्देशों की अवहेलना करके सरकारी धनराशी से सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह अवैध कॉलोनी मौजा पिछोर के गाटा संख्या 752, 753, 754, 755 व 817, 818, 819, 820, 821 और 826 लगायत 843 की भूमि रकवा लगभग 6 हेक्टेयर पर अब्दुल करीम, अकरम, मोहम्मद यासीन, के.आर. टोक्से, भगवानदास, गीता देवी, धीरेन्द्र, हरिदास आदि द्वारा विकसित की जा रही है, जिसके खिलाफ प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2015 में कारण बताओं नोटिस जारी कर कार्यवाही शुरू की गई थी। जिसका उल्लेख पृष्ठ संख्या 75 के पैरा 15 में किया गया है। उक्त नोटिस संलग्न है।

5. यह कि अधिकारियों की मिलीभगत से उक्त नगर पार्क की भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों में अवैध बोरवेल खनन कर उनमें जेट पंप, सबमर्सिबल पंप इत्यादि स्थापित कर भू-जल दोहन किया जा रहा है, जिसको लेकर आवेदक द्वारा दिनांक 23.04.2025 को PG PORTAL पर शिकायत की गई हैं। जो संलग्न है।

6. यह कि मा. सासंद, मा. विधायक, मा. महापौर एवं स्थानीय मा. पार्षदों और अधिकारियों द्वारा भू-माफियाओं और कॉलोनाइजरों से रिश्वत (घूस) लेकर न्यायिक और कानून के निर्देशों की अवहेलना करके सरकारी धनराशी से उक्त पार्क पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में लगातार बिजली, पानी, सड़क, नाली आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, विकास कार्य कराये जा रहे है। जिससे भू-माफियाओं, कॉलोनाइजरों और अवैध निर्माणकर्ताओं के मन से कानून का डर समाप्त हो गया जो लगातार झांसी महायोजना में दर्ज हरित पट्टिका, पार्क, क्रीड़ा स्थल/खेल के मैदान और जल निकायों की भूमियों पर अवैध कॉलोनियां विकसित कर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे है।

जब कि हाल ही में, राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम यूपी आवास एवं विकास परिषद और अन्य (दिनांक 17.12.2024 को तय, सिविल अपील संख्या 14604/2024) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए व्यापक जनहित में जारी किए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। जिसमें कथित अनधिकृत और अवैध निर्माणों को रोकने/हटाने तथा अवैध निर्माणों को बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, आदि की रोक लगाने के निर्देश है। जिसके अनुक्रम शासन द्वारा शासनादेश जारी किये गये है। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा उक्त नगर पार्क के अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों को रोकने व हटाने के बजाये, पार्क के अवैध निर्माणों और अवैध कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, नाली आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, विकास कार्य कर अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों को प्रोत्साहित और उन्हें लाभ पहुंचा रहें है।

7. यह कि मा. सासंद, मा. विधायक, मा. महापौर एवं स्थानीय मा. पार्षदों और अधिकारियों द्वारा जानबूझकर न्यायिक और कानून के निर्देशों की अवहेलना कर सरकारी धनराशी से उक्त नगर पार्क की

भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, नाली आदि के विकास कार्य कर कॉलोनाइजरों, भू-माफियाओं और अवैध निर्माणकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों मात्र कागज की रद्दी है, इससे स्पष्ट होता है कि इनको न तो कानून का डर है और न ही न्यायपालिका के प्रति कोई सम्मान है। यह सब देख जनता के अंदर माननीय न्यायाधिकरण एवं न्यायिक और कानून के निर्देशों के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। कयोंकि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा अपने आदेशों का पालन नहीं करवाया जा रहा है और न ही दोषियों को दंडित किया जा रहा है।

8. यह कि उक्त नगर पार्क की भूमि पर हरियाली नष्ट कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने से, झांसी नगर में हरियाली का अभाव हो गया है। जिसके कारण झांसी महानगर में विभिन्न स्रोतों से उत्तपन हो रहा वायु प्रदूषण अवशोषित/नष्ट नहीं हो रहा है। उक्त नगर पार्क विकसित न होने से झांसी नगरवासियों को स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा है जिससे नगरवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ साथ मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत नागरिकों को मिले है।

प्रार्थना

माननीय न्यायाधिकरण से विनम्र प्रार्थना है कि उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों/साक्ष्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में, मूल आवेदन में मांगी गई राहत और पर्यावरण/न्याय हित में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जो माननीय न्यायाधिकरण उचित एवं उपयुक्त समझे आदेश या दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें।

दिनांक 09.07.2025

आवेदक

(डॉ. अजय कुमार)
नि. ए-109, गंगोत्री कॉलोनी,
रुड़की रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश। 250001

समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

ओ.ए. संख्या 1388 सन् 2024

चन्द्रप्रकाश एम. तिवारी व अन्य. ....वादीगण

बनाम

यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य. ....प्रतिवादीगण

शपथ–पत्र

शपथकर्ता मिनजानिव डॉ0 अजय कुमार नि. ए--109, गंगोत्री कॉलोनी, रुड़की रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250001, मै डॉ0 अजय कुमार शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ–

1. यह कि शपथकर्ता मूल आवेदन में आवेदक संख्या 2 है।

2. यह कि शपथकर्ता ने आवेदक संख्या 1 व 3 लगायत 9 के साथ उपरोक्त मूल आवेदन प्रेषित दायर किया गया है तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हूं तथा यह शपथ पत्र देने के लिए सक्षम हूं।

3. यह कि शपथपत्र के साथ संलग्न विषय–वस्तु सत्य और सही है और इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है।

मैं शपथकर्ता तस्दीक करता हूं कि वर्तमान शपथ पत्र की विषय–वस्तु मेरे निजी ज्ञान और जानकारी अनुसार सब सत्य और सही है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

स्थान– मेरठ।

दिनांक 09.07.2025

शपथकर्ता / आवेदनकर्ता

Certified that Shri ....
Resident of ....
Identified by ....
Sworn the contents of this affidavit / document on oath before me ....
Meerut
Attested by

AKHILESH KUMAR
NOTARY (Govt. of India)

(डॉ. अजय कुमार)

GAURAV KUMAR
Advocate
Regd. No. 01621/2020
Civil Court, Meerut
Mob. 9657571821

Gmail DR. AJAY KUMAR <dr.ajaykumar.rti@gmail.com>

विषय- जानबूझकर न्यायिक और कानून के निर्देशों की अवहेलना कर नगर पार्क की भूमि पर विकसित की जा रहीअवैध कॉलोनी में सड़क व नाली का निर्माण करायें जाने के बाबत

1 message

DR. AJAY KUMAR <dr.ajaykumar.rti@gmail.com> Thu, Jun 19, 2025 at 3:18 PM
To: secy-moef@nic.in, csup@nic.in, pccf-up@nic.in, chairman@uppcb.in, psecup.urbandev@nic.in, commjha@nic.in, dmjha@nic.in, nagarayukta@jnnjhansi.com
Cc: admn.ngt@nic.in, rg.ngt@nic.in, judicial-ngt@gov.in, publicgrievance-ngt@gov.in

सेवा में,

1. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार। ईमेल–secy-moef@nic.in
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार। ईमेल–csup@nic.in
3. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ. प्र.। ईमेल–pccf-up@nic.in
4. सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ईमेल–chairman@uppcb.in
5. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। ईमेल–psecup.urbandev@nic.in
6. मण्डलायुक्त, झांसी मंडल, झांसी। ईमेल–commjha@nic.in
7. जिलाधिकारी, झांसी। ईमेल–dmjha@nic.in
8. नगर आयुक्त, नगर निगम झाँसी। ईमेल–nagarayukta@jnnjhansi.com

विषय– जानबूझकर न्यायिक और कानून के निर्देशों की अवहेलना कर नगर पार्क की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में सड़क व नाली का निर्माण करायें जाने के बाबत

महोदय,

निवेदन है कि नगर पार्क की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में मा. महापौर, मा. पार्षद और अधिकारियों द्वारा जानबूझकर न्यायिक और कानून के निर्देशों की अवहेलना करके रु. 80,00,000.00/- "अस्सी लाख" सरकारी धनराशी से सड़क एवं नाली का निर्माण कराने के संबंध में इस शिकायत का संज्ञान लेकर शीघ्र उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेः–

1. यह कि मौजा पिछोर में झांसी महायोजना के अंतर्गत शहर की जनता को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने एवं महानगर के पर्यावरण को संतुलन बनाये रखने हेतु नगर पार्क के रूप में भूमि आरक्षित की गई है, उक्त भूमि पर कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसको लेकर मा. एन.जी.टी. में OA NO. 165/2021 IN EA NO. 38/2022 और OA NO. 1388/2024 योजित किये गये है जो विचाराधीन है तथा सुनवाई तिथि 14 जुलाई 2025 निर्धारित है। उक्त प्रकरण मे अवैध निर्माण हटाने के आदेश जारी किये गये है और यह भी कहा गया है कि हरित पट्टी, पार्क के लिए आरक्षित भूमि पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसकी मा. महापौर, मा. पार्षद और अधिकारियों को भली–भांति जानकारी है।

2. यह कि नगर पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों को लाभ पहुंचाने और उन्हे प्रोत्साहित करने और सरकारी धन का बंदरबांट करने के लिए मा. महापौर, नगर निगम झांसी व मा. पार्षद, वार्ड संख्या 32, पिछोर और निगम के

अधिकारियों द्वारा जानबूझकर न्यायिक और कानून के निर्देशों की अवहेलना कर उक्त अवैध कॉलोनी में सड़क एवं नाली का निर्माण करया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि मा. महापौर, मा. पार्षद और अधिकारियों को कानून और कार्यपालिका के प्रति न तो कोई सम्मान है न ही डर है।

3. यह कि हाल ही में, राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम यूपी आवास एवं विकास परिषद और अन्य (सिविल अपील संख्या 14604/2024, दिनांक 17.12.2024 को तय) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए व्यापक जनहित में जारी किए गए विभिन्न दिशा–निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। जिसमें कथित अनधिकृत और अवैध निर्माणों को रोकने/हटाने तथा अवैध निर्माणों को बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, आदि की रोक लगाने के निर्देश है। इसके बावजूद मा. महापौर, मा. पार्षद और निगम के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अवैध कॉलोनियों में किये जा रहे कथित अनधिकृत और अवैध निर्माणों को सड़क, नाली, बिजली, पानी की सुविधाएं दी जा रही है।

4. यह कि मा. महापौर, मा. पार्षद और निगम के अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का बंदरबांट करने के लिए जानबूझकर न्यायिक और कानून के निर्देशों की अवहेलना करके सरकारी धनराशी से नगर पार्क की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में सड़क, नाली, बिजली, पानी के विकास कार्य कराएं जा रहे है। जिससे झांसी शहर के नियोजित विकास की अवधारणा और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचने के साथ–साथ नागरिकों से उसके स्वच्छ वातावरण में जीने के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है।

यदि मा. महापौर, मा. पार्षद और निगम के अधिकारियों को नगर पार्क की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में सड़क एवं नाली का निर्माण करने से नहीं रोका गया तो निश्चित ही कानून को मानने वाले ईमानदार नागरिकों को यह विश्वास हो जायेगा कि न्यायिक और कानून के निर्देश तथा आदेश मात्र कागज की रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं है जो केवल उनको डराने और उत्पीड़न के लिए होता है।

अतः आप सभी से निवेदन है कि नगर पार्क की भूमि पर विकसित अवैध कॉलोनी में मा. महापौर, मा. पार्षद और अधिकारियों द्वारा कराएं जा रहे सड़क एवं नाली के निर्माण कार्य को शीघ्र रोकने और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

डॉ. अजय कुमार

(व्हिसलब्लोअर एवं पर्यावरण, सामाजिक कार्यकर्ता)

ए–109, गंगोत्री कॉलोनी, रुड़की रोड़, मेरठ, उत्तर प्रदेश। 250001

सेवा मे17.pdf
886K

Bihari Lal Arya
Jun 16 ·

झांसी के वार्ड नं.32 पिछोर के अंतर्गत सुदीप दीक्षि
के मकान से भज्जू शटरिंग वाले तक एवं संतोष प
से पंकज श्रीवास्तव एवं रामाधार के मकान से अंति
के मकान तक लागत रू80.85 लाख से होने वाले
सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन
शिलान्यास किया।

56 10 comments 3 sh

Like Comment Send S

(8)

शिलान्यास
मा.महापौर श्री बिहारी लाल आर्य
के कर कमलों द्वारा
मा. पार्षद श्री विष्णु यादव

श्री योगी आदित्यनाथ श्री अरविन्द कुमार शर्मा श्री अनुराग शर्मा श्री रवि शर्मा
निर्माण कार्य।
शिलान्यास
मा.महापौर श्री बिहारी लाल आर्य
के कर कमलों द्वारा
मा. पार्षद श्री विष्णु यादव
की गरिमामयी उपस्थिति में दिनाँक-16.06.2025 को सम्पन्न हुआ।

Details for registration number : GOVUP/E/2025/0040777

Name Of Complainant	Dr Ajay Kumar
Date of Receipt	23/04/2025
Received By Ministry/Department	Uttar Pradesh

Grievance Description

सेवा में,
1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ ईमेल csup@nic.in
2- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ०प्र० लखनऊ ईमेल upgwd.in@gmail.com
3-जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूजल प्रबन्ध परिषद, जनपद झाँसी ईमेल dmjha@nic.in
4- नगर आयुक्त नगर निगम झाँसी ईमेल nagarayukta@jnnjhansi.com
विषय:-झाँसी महायोजना-2021 में आरक्षित सिटी पार्क की भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में अवैध बोरवेल खनन करने और उनमे जेट पंप, समर्सेबिल पंप इत्यादि स्थापित कर भू-जल दोहन करने के सम्बन्ध में, विस्तृत रूप से शिकायत संलग्न है.
भवदीय
डॉ० अजय कुमार आदि

Current Status	Grievance received
Date of Action	23/04/2025

Officer Concerns To

Forwarded to	Uttar Pradesh
Officer Name	Shri Arvind Mohan (Joint Secretary)
Organisation name	Uttar Pradesh
Contact Address	Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address	arvind.12574@gov.in
Contact Number	05222226350

(10)

द्वारा-मेल, पी.जी. पोर्टल

सेवा में,

1. मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
   ईमेल- csup@nic.in
2. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
   ईमेल- upgwd.in@gmail.com
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूजल प्रबन्धन परिषद्, जनपद- झांसी।
   ईमेल- **dmjha@nic.in**
4. नगर आयुक्त नगर निगम झांसी।
   ईमेल- **nagarayukta@jnnjhansi.com**

विषय-: झांसी महायोजना-2021 में आरक्षित सिटी पार्क की भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में अवैध बोरवेल खनन करने और उनमें जेट पंप, सबमर्सिबल पंप इत्यादि स्थापित कर भू-जल दोहन करने के संबंध में,

महोदय,

निवेदन हैं कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि लक्ष्मीताल के निकट झांसी महायोजना-2021 में आरक्षित सिटी पार्क की भूमि को आवासीय भूमि दर्शाकर आवासीय भू-खण्डों के रूप में क्रय-विक्रय कर उन भू-खण्डों में अधिकारियों कि मिलीभगत से उत्तर प्रदेश भूजल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2019 का उलघंन कर काफी स्ख्या में अवैध बोरवेल खनन (illegal borewell mining) किया जा रहा और उनमें जेट पंप, सबमर्सिबल पंप (Installing jet pumps, submersibles etc.) इत्यादि स्थापित कर अवैध आवासीय और व्यावसायिक निर्माण करने व पानी का व्यापार करने व वाहन धोने व आवासीय और व्यावसायिक निर्माणों और विवाह घरों (Marriage Houses, Residential and Commercial) के उपयोग हेतु भू-जल दोहन (groundwater exploitation) कर भूमिगत जल समाप्त किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि उक्त सिटी पार्क की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों में 500 से 2500 वर्गफुट तक के भू-खण्ड क्रय-विक्रय कर प्रत्येक भू-खण्ड में (10 से 40 फुट की दूरी पर) और बनाये जा रहे बड़े-बड़े विवाह घरों में अवैध बोरवेल खनन कर जेट पंप, सबमर्सिबल, पंप इत्यादि स्थापित कर भारी मात्रा में भूजल दोहन किया जा रहा है। जब कि भूजल संसाधनों की

सुरक्षा और प्रबंधन तथा कानून का पालन कराने और गैर-कानूनी कार्यो को रोकने के लिए जनपद के जिलाधिकारी जिम्मेदार हैं।

झांसी प्रशासन को उक्त सिटी पार्क की भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों, अवैघ निर्माणों व व्यावसायिक गतिविधियों की जानकारी है। जिलाधिकारी झांसी द्वारा उक्त सिटी पार्क की भूमि की अवैध कॉलोनियों और अवैघ निर्माणों की रिपार्ट मा. एन.जी.टी में प्रेषित की गई है। जिनमें अवैध बोरवेल खनन किया जा रहा और उनमें जेट पंप, सबमर्सिबल पंप इत्यादि स्थापित कर भू-जल दोहन किया जा रहा है। इसके बावजूद झांसी प्रशासन की ओर से आज तक उन अवैध बोरवेल खनन को रोका और बंद नहीं किया गया है। जिसके कारण इन अवैध बोरवेल खनन और भूमिगत जल के अंधाधुंध दोहन से उक्त क्षेत्र में निरंतर भूमिगत जल स्तर में गिरावट हो रही और सतह पर तपन बड़ रही है।

उल्लेखनीय है कि उक्त क्षेत्र में भूजल का दोहन इतना बढ़ गया है कि भूमि की सतह के नीचे भूजल के प्रथम एक्वाफायर लेयर समाप्त होने की सीमा पर पहुंच रहीं है। यदि भूजल का इसी तरह दोहन होता रहा तो पहली एक्वाफायर लेयर समाप्त होते ही भूमि का धंसना प्रारम्भ हो जायेगा।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि लक्ष्मीताल के निकट झांसी महायोजना-2021 में आरक्षित सिटी पार्क की भूमि पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में किये जा रहे अवैध बोरवेल खनन को रोकने व बंद करने और उनमें जेट पंप, सबमर्सिबल पंप इत्यादि स्थापित कर भू-जल दोहन करने के संबंध में शीघ्र आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें।

नोट- उक्त प्रकरण में शीघ्र प्रभावी कार्यवाही न होने की स्थिति में मजबूरन माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली विचाराधीन मामलों में शिकायत प्रेषित की जायेगी।

दिनांक 22.04.2025

प्रार्थीगण
(पर्यावरण एवं आर.टी.आई कार्यकर्ता)

JDA JHANSI झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक– 267 /झाँ0वि0प्रा0/2025–26 दिनांक 08/05 2025

आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या (बोल्ड व बडे अंकों में)	60000250088049
शिकायत का विवरण	महायोजना के सम्बन्ध में।
नाम	डा0 अजय कुमार
पता	ए–109 गंगोत्री कॉलोनी रूरकी रोड मेरठ
मोबाइल नम्बर	9808662200
क्या शिकायतकर्ता से वार्ता हुई (हाँ अथवा नहीं)	
क्या शिकायतकर्ता जांच आख्या से संतुष्ट है ? (हाँ अथवा नहीं)	
क्या शिकायत का भौतिक सत्यापन कराया गया ?	हॉ
दो गवाह (यदि आवश्यक हो)	
प्रथम गवाह का नाम–	द्वितीय गवाह का नाम–
प्रथम गवाह का मो0नं0	द्वितीय गवाह का मो0नं0
प्रथम गवाह पता–	द्वितीय गवाह पता–
जांचकर्ता अधिकारी का विवरण	
पद	नगर नियोजक
नाम	जितेन्द्र सिंह सहरवार
मोबाइल नम्बर	9827378696

प्रश्नगत प्रकरण में वांछित आख्या निम्नवत् है :–

प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि झाँसी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से ही मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रकरण विचाराधीन है तथा प्राधिकरण द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में निरन्तर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पृथक से किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नही है।

अतः शिकायत निक्षेपित योग्य है।

जितेन्द्र सिंह सहरवार,
नगर नियोजक
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

8/5/2025
नोडल अधिकारी
(आई0जी0आर0एस0)
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

9-7099/47/2025-नगर विकास अनुभाग-7-Urban Development Department I/862112/2025

महत्वपूर्ण/ई–मेल

मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश

संख्या–363/नौ–7–2024– **Comp. No.- 1892817**

प्रेषक,

महेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1.**निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. लखनऊ।
2.**नगर आयुक्त,** समस्त नगर निगम, उ.प्र.।
3.**अधिशासी अधिकारी,** समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ:दिनांक: 27 जनवरी, 2025

विषय–उत्तर प्रदेश राज्य में अनधिकृत संरचनाओं के ध्वस्तीकरण के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन के स्तर से निर्गत गृह (पुलिस) अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–I/851091/2025, दिनांक 15.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनधिकृत संरचनाओं के ध्वस्तीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश के प्रचलित अधिनियमों एवं संबंधित विषय पर निर्मित विधियों में प्राविधानित उपबंधों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ–साथ मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या– 295/2022 इन री डायरेक्शंस इन दी मेटर ऑफ डिमोलिशन ऑफ़ स्ट्रक्चर्स, सिविल अपील संख्या 14604/2024 राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और अन्य तथा सिविल अपील संख्या 14605/2024 राजीव गुप्ता और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और अन्य में पारित आदेशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा. उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के क्रम में निर्गत उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा निर्गत निर्देशों का पूर्ण एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त। भवदीय,

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

Signed by
Mahendra Bahadur Singh
Date: 27-01-2025 10:19:46

6-11005(001)/150/2024-गृह (पुलिस) अनुभाग-11-home department

Computer No: 1892817

I/851091/2025

363/9-7-45

मा0 उच्चतम न्यायालय /महत्वपूर्ण

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा मे,

1-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2-प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
3-प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन ।
6-प्रमुख सचिव, पंचायती राज्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7-प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
8-प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

गृह (पुलिस) अनुभाग- 11 **लखनऊः दिनाँकः15-01-2025**

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य में अनधिकृत संरचनाओं के ध्वस्तीकरण के संबंध में दिशा निर्देश ।

महोदय,

अवगत कराना है कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2022 इन री डायरेक्शंस इन दी मैटर ऑफ़ डिमोलिशन ऑफ़ स्ट्रक्चर्स के मामले में सुनवाई करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अनधिकृत संरचनाओं के ध्वस्तीकरण के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किये हैं ।

2. यह विशेष उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 राज्य में ध्वस्तीकरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाईयाँ विधि संगत रूप से स्थापित विधियों एवं नियमों के अनुकूल ही निष्पादित की जाती रही हैं । उत्तर प्रदेश के प्रचलित अधिनियमों एवं संबंधित विषय पर निर्मित विधियों में प्राविधानित उपबंधों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ-साथ मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या- 295/2022 इन री डायरेक्शंस इन दी मैटर ऑफ़ डिमोलिशन ऑफ़ स्ट्रक्चर्स के मामले में पारित निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन भी आवश्यक है :-

A. NOTICE

i. No demolition should be carried out without a prior show cause notice returnable either in accordance with the time provided by the local municipal laws or within 15 days' time from the date of service of such notice, whichever is later.

ii. The notice shall be served upon the owner/occupier by a registered post A.D. Additionally, the notice shall also be affixed conspicuously on the outer portion of the structure in question.

iii. The time of 15 days, stated herein above, shall start from the date of receipt of the said notice.

iv. To prevent any allegation of backdating, we direct that as soon as the show cause notice is duly served, intimation thereof shall be sent to the office of Collector/District Magistrate of the district digitally by email and an auto generated reply acknowledging receipt of the mail should also be issued from the office of the Collector/District Magistrate. The Collector/DM shall designate a nodal officer and also assign an email address and communicate the same to all the municipal and other authorities in charge of building regulations and demolition within one month from today.

v. The notice shall contain the details regarding:
   a. the nature of the unauthorized construction.
   b. the details of the specific violation and the grounds of demolition.
   c. a list of documents that the noticee is required to furnish along with his reply.
   d. The notice should also specify the date on which the personal hearing is fixed and the designated authority before whom the hearing will take place;

vi. Every municipal/local authority shall assign a designated digital portal, within 3 months from

415
सचिव(न)/F7
9044
17-1-25

26/SANV/25
V.S(MI)
20-01-25
(अनुज कुमार ...)
सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

5076/VSNV(MBS)/25
507
20/1/25
(महेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

श्री विपुल/...
23/01/25

today wherein details regarding service/pasting of the notice, the reply, the show cause notice and the order passed thereon would be available.

B. PERSONAL HEARING

i. The designated authority shall give an opportunity of personal hearing to the person concerned.

ii. The minutes of such a hearing shall also be recorded.

C. FINAL ORDER

i. Upon hearing, the designated authority shall pass a final order.

ii. The final order shall contain:

a. the contentions of the noticee, and if the designated authority disagrees with the same, the reasons thereof;

b. as to whether the unauthorized construction is compoundable, if it is not so, the reasons therefor;

c. if the designated authority finds that only part of the construction is unauthorized/noncompoundable, then the details thereof.

d. as to why the extreme step of demolition is the only option available and other options like compounding and demolishing only part of the property are not available.

D. AN OPPORTUNITY OF APPELLATE AND JUDICIAL SCRUTINY OF THE FINAL ORDER.

i. We further direct that if the statute provides for an appellate opportunity and time for filing the same, or even if it does not so, the order will not be implemented for a period of 15 days from the date of receipt thereof. The order shall also be displayed on the digital portal as stated above.

ii. An opportunity should be given to the owner/occupier to remove the unauthorized construction or demolish the same within a period of 15 days. Only after the period of 15 days from the date of receipt of the notice has expired and the owner/occupier has not removed/demolished the unauthorized construction, and if the same is not stayed by any appellate authority or a court, the concerned authority shall take steps to demolish the same. It is only such construction which is found to be unauthorized and not compoundable shall be demolished.

iii. Before demolition, a detailed inspection report shall be prepared by the concerned authority signed by two Panchas.

E. PROCEEDINGS OF DEMOLITION

i. The proceedings of demolition shall be video-graphed, and the concerned authority shall prepare a demolition report giving the list of police officials and civil personnel that participated in the demolition process. Video recording to be duly preserved.

ii. The said demolition report should be forwarded to the Municipal Commissioner by email and shall also be displayed on the digital portal.

92. Needless to state that the authorities hereinafter shall strictly comply with the aforesaid directions issued by us.

93. It will also be informed that violation of any of the directions would lead to initiation of contempt proceedings in addition to the prosecution.

94. The officials should also be informed that if the demolition is found to be in violation of the orders of this Court, the officer/officers concerned will be held responsible for restitution of the demolished property at his/their personal cost in addition to payment of damages.

3. उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 14604/2024 राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और अन्य तथा सिविल अपील संख्या 14605/2024 राजीव गुप्ता और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और अन्य में पैरा 20 में स्पष्ट रूप से पर्यवेक्षित किया गया है कि :-

"**20. In the ultimate analysis, we are of the opinion that construction(s) put up in violation of or deviation from the building plan approved by the local authority and the constructions which are audaciously put up without any building planning approval, cannot be encouraged.** Each and every construction must be made scrupulously following and strictly adhering to the Rules. **In the event of any violation being brought to the notice of the Courts, *it has to be curtailed with iron hands and any lenience afforded to them would amount to showing misplaced sympathy.*** **............**Hence, regularization schemes must be brought out only in exceptional circumstances and as a onetime measure for residential houses after a detailed survey

and considering the nature of land, fertility, usage, impact on the environment, availability and distribution of resources, proximity to water bodies/rivers and larger public interest. **Unauthorised constructions, apart from posing a threat to the life of the occupants and the citizens living nearby, also have an effect on resources like electricity, ground water and access to roads, which are primarily designed to be made available in orderly development and authorized activities. .....**"

4. अग्रतर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या- 14604/2024 राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 द्वारा अवैध निर्माणों के संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश भी निर्गत किये गए हैं जिनका अनुपालन भी किया जाना आवश्यक है :

21. Therefore, in the larger public interest, we are inclined to issue the following directions, in addition to the directives issued by this Court in Re: Directions in the matter of demolition of structures (supra):

(i) While issuing the building planning permission, an undertaking be obtained from the builder/applicant, as the case may be, to the effect that possession of the building will be entrusted and/or handed over to the owners/beneficiaries only after obtaining completion/occupation certificate from the authorities concerned.

(ii) The builder/developer/owner shall cause to be displayed at the construction site, a copy of the approved plan during the entire period of construction and the authorities concerned shall inspect the premises periodically and maintain a record of such inspection in their official records.

(iii) Upon conducting personal inspection and being satisfied that the building is constructed in accordance with the building planning permission given and there is no deviation in such construction in any manner, the completion/occupation certificate in respect of residential / commercial building, be issued by the authority concerned to the parties concerned, without causing undue delay. If any deviation is noticed, action must be taken in accordance with the Act and the process of issuance of completion/occupation certificate should be deferred, unless and until the deviations pointed out are completely rectified.

(iv) All the necessary service connections, such as, Electricity, water supply, sewerage connection, etc., shall be given by the service provider / Board to the buildings only after the production of the completion/occupation certificate.

(v) Even after issuance of completion certificate, deviation / violation if any contrary to the planning permission brought to the notice of the authority immediate steps be taken by the said authority concerned, in accordance with law, against the builder / owner / occupant; and the official, who is responsible for issuance of wrongful completion /occupation certificate shall be proceeded departmentally forthwith.

(vi) No permission /licence to conduct any business/trade must be given by any authorities including local bodies of States/Union Territories in any unauthorized building irrespective of it being residential or commercial building.

(vii) The development must be in conformity with the zonal plan and usage. Any modification to such zonal plan and usage must be taken by strictly following the rules in place and in consideration of the larger public interest and the impact on the environment.

(viii) Whenever any request is made by the respective authority under the planning department/local body for co-operation from another department to take action against any unauthorized construction, the latter shall render immediate assistance and co-operation and any delay or dereliction would be viewed seriously. The States/UT must also take disciplinary action against the erring officials once it is brought to their knowledge.

(ix) In the event of any application / appeal / revision being filed by the owner or builder against the non-issuance of completion certificate or for regularisation of unauthorised construction or rectification of deviation etc., the same shall be disposed of by the authority concerned, including the pending appeals / revisions, as expeditiously as possible, in any event not later than 90 days as statutorily provided.

(x) If the authorities strictly adhere to the earlier directions issued by this court and those being passed today, they would have deterrent effect and the quantum of litigation before the Tribunal / Courts relating to house / building constructions would come down

drastically. Hence, necessary instructions should be issued by all the State/UT Governments in the form of Circular to all concerned with a warning that all directions must be scrupulously followed and failure to do so will be viewed seriously, with departmental action being initiated against the erring officials as per law.
(xi) Banks / financial institutions shall sanction loan against any building as a security only after verifying the completion/occupation certificate issued to a building on production of the same by the parties concerned. (xii) The violation of any of the directions would lead to initiation of contempt proceedings in addition to the prosecution under the respective laws.

5- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-2 , 3 एवं 4 में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों का पूर्ण एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
Signed by
Manoj Kumar Singh
(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव
Date: 15-01-2025 14:30:51

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- समस्त जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
6-गृह (पुलिस) अनुभाग-3, 4, 9, 12, 14
7-गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(राजेश कुमार)
सचिव ।